भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1837
05 दिसम्बर, 2024 को उत्तर देने के लिए

पीएमएफएमई के तहत उद्यमों को वित्तीय सहायता

1837. श्री शशांक मणि:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रधान मंत्री फॉर्मलाइज़ेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज (पीएमएफएमई) योजना के अंतर्गत उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा राज्य-वार कुल कितनी धनराशि आवंटित और वितरित की गई है;

(ग) जिनमें पात्रता मानदंड और समर्थित उद्यमों के प्रकार सहित पीएमएफएमई योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) क्या इस योजना का ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर महिलाओं और हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारिकीकरण और रोजगार सृजन पर प्रभाव पड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) से (ग): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) देश में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय प्रायोजित "प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना" को कार्यान्वित्त कर रहा है। यह योजना 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ वर्ष 2020-21 से 2025-26 की अवधि के लिए प्रचालन में है। इस योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना और क्षेत्र के औपचारिकीकरण को बढ़ावा देना है। यह योजना मुख्य रूप से एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) दृष्टिकोण को अपनाती है ताकि इनपुट की खरीद, सामान्य सेवाओं का लाभ उठाने और उत्पादों के विपणन के मामले में पैमाने का लाभ उठाया जा सके। यह मूल्य श्रृंखला विकास और सहायक अवसंरचना के संरेखण के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। ओडीओपी की पहचान राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों द्वारा कृषि उत्पादन, कच्चे माल की उपलब्धता, उत्पाद के विकारी होने आदि के आधार पर की जाती है। इस योजना के तहत प्रोपराइटरशिप फर्म/पार्टनरशिप फर्म/किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)/गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ)/सहकारी समितियां/स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)/प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां आदि जैसे संगठन वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के अंतर्गत उद्यमों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है । राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों को निधियों का आवंटन (केंद्र का हिस्सा) उनके द्वारा योजना के कार्यान्वयन की प्रगति और पहले से जारी निधियों के उपयोग पर निर्भर करता है। हालाँकि, 31 अक्टूबर, 2024 तक पीएमएफएमई योजना के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन के लिए जारी की गई निधियों (केंद्र का हिस्सा) का राज्य/ संघ-राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध- II** में दिया गया है ।

(घ): दिनांक 31 अक्टूबर, 2024 तक 31,805 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी सहायता के माध्यम से औपचारिक रूप दिया गया है, जिसमें 2,442 एससी, 1,315 एसटी और 14,432 महिला लाभार्थी (1345 एससी और 646 एसटी महिला लाभार्थी सहित) शामिल हैं और पीएमएफएमई योजना के तहत लगभग 1,21,450 प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित किए गए हैं। यह योजना मांग आधारित है और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन पर समान रूप से ध्यान केंद्रित करती है।

*****

अनुबंध- ।

दिनांक 05 दिसंबर, 2024 को उत्तर हेतु "पीएमएफएमई के तहत उद्यमों को वित्तीय सहायता" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1837 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के अंतर्गत उद्यमों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का विवरण निम्नानुसार है:

(i) वैयक्तिक/समूह श्रेणी सूक्ष्म उद्यमों को सहायता: पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से क्रेडिट-लिंक्ड पूंजी सब्सिडी, अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये प्रति इकाई;

(ii) स्वयं सहायता समूहों को प्रारम्भिक पूंजी के लिए सहायता: कार्यशील पूंजी और छोटे औजारों की खरीद के लिए खाद्य प्रसंस्करण में लगे स्वयं सहायता समूहों के प्रत्येक सदस्य को 40,000 रुपये की दर से प्रारम्भिक पूंजी, प्रति स्वयं सहायता समूह संघ के लिए अधिकतम 4 लाख रुपये के अध्यधीन होगी।

(iii) सामान्य अवसंरचना के लिए सहायता: एफपीओ, एसएचजी, सहकारी समितियों और किसी भी सरकारी अभिकरण को सामान्य अवसंरचना स्थापित करने के लिए सहायता देने के लिए 35% की दर से क्रेडिट लिंक्ड पूंजी सब्सिडी, अधिकतम 3 करोड़ रुपये के अध्यधीन होगी। सामान्य अवसंरचना अन्य इकाइयों और आम जनता के लिए भी उपलब्ध होगी, ताकि वे क्षमता के बड़े हिस्से के लिए किराये के आधार पर इसका उपयोग कर सकें।

(iv) ब्रांडिंग और विपणन सहायता: एफपीओ/एसएचजी/सहकारी समितियों या सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के एसपीवी को ब्रांडिंग और विपणन के लिए 50% तक अनुदान ।

(v) क्षमता निर्माण: इस स्कीम में उद्यमिता विकास कौशल (ईडीपी+) के लिए प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई है: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और उत्पाद विशिष्ट कौशल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कार्यक्रम को संशोधित किया गया है।

*****

अनुबंध- II

दिनांक 05 दिसंबर, 2024 को उत्तर हेतु "पीएमएफएमई के तहत उद्यमों को वित्तीय सहायता" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1837 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

31 अक्टूबर, 2024 तक पीएमएफएमई योजना के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन के लिए जारी निधि (केंद्र का हिस्सा) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी कुल राशि (करोड़ रुपए में)
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	4.12
2	आंध्र प्रदेश	115.78
3	अरुणाचल प्रदेश	18.59
4	असम	118.02
5	बिहार	211.28
6	चंडीगढ़	2.00
7	छत्तीसगढ	28.58
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1.29
9	दिल्ली	3.98
10	गोवा	9.34
11	गुजरात	47.04
12	हरियाणा	42.63
13	हिमाचल प्रदेश	70.51
14	जम्मू और कश्मीर	18.39
15	झारखंड	24.22
16	कर्नाटक	148.06
17	केरल	75.30
18	लद्दाख	6.29
19	लक्षद्वीप	1.01
20	मध्य प्रदेश	111.08
21	महाराष्ट्र	318.62
22	मणिपुर	6.41
23	मेघालय	9.23
24	मिजोरम	10.67
25	नागालैंड	16.52
26	ओडिशा	75.28
27	पुदुचेरी	6.00
28	पंजाब	93.15
29	राजस्थान	43.95
30	सिक्किम	12.87
31	तमिलनाडु	164.30
32	तेलंगाना	90.36
33	त्रिपुरा	18.21
34	उत्तर प्रदेश	240.39
35	उत्तराखंड	27.45
36	पश्चिम बंगाल	6.28
	कुल	**2197.2 0**

*****